P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कर नियोजन एंव प्रबन्धन

भगवती देवी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय,
हल्दूचौड़

सारांश

कर राज्य की आय का का मुख्य साधन हैं जो राज्य को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। सरकार व्यक्तियों से उनके सामान्य हित मे किये गये व्ययों के लिए कर वसूल करती हैं और उनके लिए करदाता को कोई प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा या वस्तु प्रदान नहीं की जाती हैं। इस प्रकार कर एक व्यक्तिगत दायित्व हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आर्थिक उत्पादन जैसे, कृषि, उद्योग आदि को प्रोत्साहित करने, आधार भूत संरचना जैसे, परिवहन, दूर संचार, विद्युत आदि क्षेत्रों के गठन एवं विकास, सामाजिक क्षेत्र जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, पीने का पानी आदि को उपलब्ध कराने एवं आपातकालीन परिस्थिस्तियों जैसे, युद्ध, बाढ, सूखा आदि से निपटने के लिए धन की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है। जिसकी पूर्ति के लिए विकासशील देशों में राजस्व की अधिकतम वसूली पर विशेष बल दिया जाता हैं। जिससे सरकार सफलतापूर्वक इस कार्य को सम्पादित कर सके। अतः कराधान में विकास के लक्ष्य और सामाजिक न्याय के समन्यवय पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा आन्तरिक विकास से जुडे सभी पहलुओ को ध्यान मे रखकर ही सम्मत्ति तैयार की जानी चाहिए क्योंकि अनुकूलतम एवं विकासोन्मुखी कराधान नीति उक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी नीति तथा कार्य प्रणाली का नियोजन करना आवश्यक होता है। नियोजन से किये गये कार्यो की सफलता की अधिक संभावना होती है। कर नियोजन द्वारा किस प्रकार से कर दायित्वों में कमी की जा सकती है और आय का अधिकाधिक भाग विकासात्मक कार्यों में प्रयोग किया जा सके ताकि आर्थिक रूप से प्रगति हो सके। हमारे देश में कर की दरें ऊँची है तथा करारोपण के विधान की विधि अति जटिल होने के कारण कर के क्षेत्र में कर के नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। कर नियोजन में करारोपपण के विधान का पूर्ण तथा गहन अध्ययन करके उसके द्वारा दी गयी छूटों, कटौतीयों, रियायतों आदि का पूर्ण लाभ उठाकर कर भार न्यूनतम किया जा सकता है।

मुख्य शब्दः कर नियोजन, करारोपण, कर अधिनियम, कर प्रावधान, कर प्रबन्धन, कराधान नीति।

प्रस्तावना

"कर नियोजन किसी व्यक्ति की आयों व्ययों एवं विनियोंगों की ऐसी विधि सम्मत व्यवस्था है जिससे उसका कर दायित्व न्यूनतम हो सके और करके बाद उसकी आय अधिकतम"।

कर नियोजन की नीतियों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुऐ छूटों एवं कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुऐ कर दायित्व को न्यूनतम करने का वैज्ञानिक तरीका है। वास्तव में कर नियोजन का अभिप्राय करारोपण के विधान का पूर्ण तथा गहन अध्ययन करके उसके द्वारा दी गयी छूटों,कटौतियों, रियायतों आदि का पूर्ण लाभ उठाकर कर भार न्यूनतम करना है। कर नियोजन एक साकारात्मक विधि है जिसमें विधान जिसमें विधान के आयोजनो का उल्लंघन किये बिना तथा विधान की भावनाओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल छूटों, रियायतों तथा कटौतियों का पूर्ण लाभ उठाते हुये कर भार को कम करने का प्रत्येक करदाता को पूर्ण अधिकार है तथा इसे समाज, सरकार तथा न्यायालय बुरी नजर से नहीं देखता है।

वास्तव में छूटें, कटौतिया, रियायते आदि विधान मण्डल ने कुछ सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के विचार से दी हैं। उदाहरणार्थ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 I B में उन औद्योगिक उपक्रमों की कटौती दी गयी है जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुऐ राज्यों एवं जिलों का आर्थिक

विकास करना है। इसी तरह 80सी के अन्तर्गत कटौती का उद्देष्य एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को वचत करके निर्धारित योजनाओं में राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि देश के आर्थिक विकास के पूँजी प्राप्त हो सके। यदि एक व्यक्ति कटौतियों का लाभ लेता है तो वह केवल अपना कर दायित्व कम करता है बल्कि विधान मण्डल के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक है।

कर नियोजन के प्रकार

1. अल्पकालीन कर नियोजन
2. दीर्घकालीन कर नियोजन
3. विनियोग कर नियोजन
4. संगठनात्मक कर नियोजन
5. सम्पत्ति कर नियोजन।

कर नियोजन के आवश्यक तत्व या विशेषतायें

यह नियोजन का युग है। जिस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में अर्थिक नियोजन, प्रबन्ध के क्षेत्र मे प्रबन्धकीय नियोजन किया जाता है। कर नियोजन के आवश्यक तत्व या विशेषताये निम्न प्रकार से है

1. कर नियोजन विधि सम्मत है।
2. आयों, व्ययों एवं विनियोगो का नियोजन किया जाता है।
3. कर नियोजन नैतिक है।
4. कर नियोजन सरकारी नीतियों के अनूरूप होता है
5. कर नियोजन से कर दायित्व में कमी तथा कर के बाद की आय में वृद्धि होती है।
6. कर नियोजन का आधार छूटें,कटौतियां एवं रहते है।
7. कर नियोजन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
8. कर नियोजन वैज्ञानिक है।

कर नियोजन के उद्देश्य

कर नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. कर दायित्व में कमी,
2. मुकदमें बाजी में कमी,
3. उत्पादक विनियोग,
4. लागत में काफी,
5. अर्थ व्यवस्था का स्वस्थ्य विकास
6. रोजगार में वृद्धि,
7. आर्थिक विकास की क्षेत्रीय असमानता घटाने के लिए।

कर नियोजन के स्वरूप

कर नियोजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जो कि निम्न है

1. बचत करके कर नियोजन करना,
2. निवास स्थान के आधार पर कर नियोजन,
3. कुछ निर्दिष्ट विनियोग करके कर नियोजन करना,
4. आय के प्रत्येक मद के सम्बन्ध में कर नियोजन,
5. आय प्राप्ति की तिथियों में परिवर्तन करके कर नियोजन करना,
6. विशेष क्षेत्रों या अवधि में उद्योग स्थापित कर नियोजन करना,
7. व्यापार के संगठन के स्वरूप (कम्पनी, फर्म या अन्य) में परिवर्तन करके कर नियोजन। किसी व्यापार को कम्पनी के रूप में संचालित करने पर अनेक छूटें एवं कटौतिया प्राप्त होती हैं।

कर प्रबन्धन

कर प्रबन्धन का आशय कर प्रावधानों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करके, वित्तीय क्रियाओं का ऐसा समुचित एवं समयानुकूल प्रबन्ध करने से है जिससे कर अधिनियम में प्रदत्त विभिन्न छूटों कटौतियों, राहतो एवं प्रेरणाओ का पूर्ण लाभ उठाने की समस्त वैधानिक, शर्ते या औपचारिकतायें पूरी हो सकें एवं विभिन्न सजाओं, अर्थदण्डों आदि से बचाव हो सके। कर प्रबन्धन में निम्न सन्निहित है।

1. प्रावधानों की गहन एवं विस्तृत जानकारी लेना;
2. विभिन्न छूटों, कटौतियों एवं राहतों का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिनियम में प्रदत्त समस्त शर्तो को पूरा करने की व्यवस्था करना;
3. लेखा रखने की उचित एवं स्पष्ट विधि अपनाना जिससे आय की गणना सही–सही की जा सके।
4. कर अधिकारियों की संतुष्टि के लिए समुचित अभिलेख प्रपत्र एवं अन्य कागजात रखना;
5. विभाग से प्राप्त आदेशों का अध्ययन करना एवं आवश्यकता होने पर आदेश में गलती के संशोधन के लिए लिखना, इसके विरूद्ध अपील करना अथवा कमिश्नर को पुनर्विचार के लिए आवेदन करना।

कर प्रबन्धन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित है

1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती
2. उद्गम स्थान पर कर का संग्रह
3. कर भुगतान
4. खातों का अंकेक्षण
5. कुछ राशियों का भुगतान,
6. कुछ छूटें तथा कटौतियां प्राप्त करने के लिए शर्तें पूरी करना,
7. आय का रिटर्न दाखिल करना,
8. दस्तावेज एवं अभिलेख रखना,
9. आदेशों का पुनर्विलोकन

उद्देश्य

हमारे देश में कर की दरें ऊँची है तथा करारोपण के विधान की विधि अति जटिल होने के कारण कर के क्षेत्र में कर के नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। कर नियोजन में करारोपपण के विधान का पूर्ण तथा गहन अध्ययन करके उसके द्वारा दी गयी छूटों, कटौतियों, रियायतों आदि का पूर्ण लाभ उठाकर कर भार न्यूनतम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य का नियोजन से सुझाव देना है कि कर नियोजन द्वारा किस प्रकार से कर दायित्वों में कमी की जा सकती है और आय का अधिकाधिक भाग विकासात्मक कार्यों में प्रयोग किया जा सके ताकि आर्थिक रूप से प्रगति हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. एस. के . सिंह लोकवित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. डॉ. जे. सी. वार्ष्णेय राजस्व, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. डॉ. टी. टी. सेठी मुद्रा एवं बैंकिग, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशक , आगरा।
4. डॉ. सोमेश कुमार शुक्ला भारत की प्राचीन एवं वर्तमान कर व्यवस्था, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ।
5. डॉ. बी. के. अग्रवाल आयकर विधान एवं लेखे, नवयुग साहित्य सदन, आगरा।
6. डॉ. एच. सी० मेहरोत्रा आयकर विधान एवं लेखे, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
7. डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा एवं डॉ. एस.पी. गोयल निगमीय कर नियोजन एवं प्रबन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।